गोपाललाल बनाम मोती

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/11/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / कार्य में व्यस्त होने के कारण [illegible] 18/11/24 का पेश हो।
	18/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/12/24 को पेश हो।
	6/12/24	पत्रावली पेश। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार अवसर लगवाने पर धारित नहीं। स्पष्ट है कि उक्त वाद पत्र को वादी एवं वादी अधिवक्ता सख्त कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः उक्त वाद-पत्र अन्तर्गत धारा (188) R.T. Act को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। पृष्ठ पत्र मय दावा (188) R.T. Act अदम धारणी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जिला-जयपुर